

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण
प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013

भाग-1

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण परिशिष्ट-
“A” पर दिया गया है।

भाग-2

2 वर्तमान लेखा परीक्षा:-

मुख्यमंत्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01.04.2012 से 31-03-2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 13-01-2014 से 15-01-2014 के दौरान हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया गया। माह 02/2013 की आय व माह 12/2012 के व्यय की विस्तृत जाँच की गई।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की गलत सूचना उपलब्ध करवाने अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई गई त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3 लेखा परीक्षा शुल्क:-

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1800/- बनता है। अनुभाग अधिकारी, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पत्र संख्या 10/2014, दिनांक 15.01.2014 जारी करके इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-09 को शीघ्र भेजने हेतु आग्रह किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

(क) संस्था द्वारा प्रस्तुत मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष के अवधि 01.04.2012 से 1.03.2013 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

Year	O. B	Income	Interest		Total	Payment	C.B
2012—13	46635582.64	25000	Saving	45526	47969576.64	4284300.00	43685276.64
			FDR	1263468			

In Saving Bank A/c 4004 (हि०प्र०को०आ० बैंक)	1179106.64
FDR (Detail Attached)	42506170.00
Total	43685276.64

(ख) अंकेक्षण द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4(ख) में आपति दर्ज की गई थी कि संस्था द्वारा पूर्व में दिनांक 06-01-2007 के ₹92,730.25 रोकड़ बही में आय के रूप में जमा दर्शाकर बैंक के साथ रोकड़ बही के शेष का मिलान किया गया था जो कि आपत्तिजनक है। अतः पुनः यह सुझाव दिया जाता है कि संस्था द्वारा पूर्व से ही नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए व उक्त ₹92,730.25 का तदानुसार मिलान/समायोजन करना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

5 सावधि जमा:—

संस्था द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक सावधि खाते में ₹4,25,06,170.00 निवेश की गई थी जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट “क” पर दिया गया है।

6 मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से किए गए व्यय को समिति से अनुमोदित नहीं करवाया जाना:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा दिनांक 01.07.2005 के पश्चात मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से किए गए व्यय को इस सन्दर्भ में गठित समिति से अनुमोदित नहीं करवाया गया जबकि अधिसूचना सं० जी०ए०डी० (ई)(सी)८-१/९९, दिनांक 18.09.2003 के पैरा सं० 5 (a) में वर्णित वित्तीय शक्तियों के अनुसार “The Committee Shall have the powers to utilize the funds to achieve its objectives” अर्थात् कोष

को उसके निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करने की शक्तियां समिति के पास ही निहित है। इस संदर्भ में अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण, प्रतिवेदन पैरा (अवधि 04/2011 से 03/2012) के पैरा संख्या 6 में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु आज तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस प्रकार उक्त नियम दिशा निर्देशों के अनुसार कोष के संचालन हेतु गठित समिति से दिनांक 01.07.2005 से 31.03.2013 तक किए गए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि कोष से किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति गठित कमेटी से प्राप्त की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 कोष से किए गए भुगतान से सम्बन्धित “भुगतान रसीदें” प्राप्त न करना:—

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष से जिला उपायुक्तों के माध्यम से भुगतान किया जाता है। भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित रसीदें या तो विलम्ब से प्राप्त की गई थी या प्राप्त ही नहीं की गई थी। अंकेक्षण के लिए चयनित माह 12/2012 में निम्न विवरणानुसार कुल ₹10,25,000/— का भुगतान जिला उपायुक्तों के माध्यम से किया गया था परन्तु किसी भी भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में रसीदें प्राप्त नहीं की गई थी। अतः कोष से भुगतान की गई राशियों के सम्बन्ध में रसीदें अविलम्ब प्राप्त की जाए और इन सभी रसीदों को अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012—13 के दौरान इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों की छानबीन संस्था द्वारा अपने स्तर पर करके यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त भुगतानों के सम्बन्ध में आवश्यक रसीदें प्राप्त की गई है।

Date	Name and address of soldier (whom ex-gratia grant was given)	Draft No.	Dated	Amount
12/12/12	NK Anil kumar, R/O Village- Thana Bargran, Post-office- Chandrot, Tehsil-Baroh, Distt- Kangra, H.P	307968	12/12/12	300000

	(Through DC Kangra)				
12/12/12	LHF Chaman lal, R/O Village- Dedh, Post-office-Upper Lambagaon, Tehsil- Jaisnighpur, Distt. Kangra, H.P (Through DC Kangra)	307968	12/12/12	300000	
12/12/12	Nb sub sukhvinder sing, R/O village-thana, post-office- Thural, Tehsil-Palampur, Distt- kangra, H.P (Through DC Kangra)	307968	12/12/12	300000	
05/12/12	sep vijay kumar, R/O village- Dudhana, post office-Dudhana, Tehsil-Hamirpur, Distt- Hamirpur H.P (Through DC Hamirpur)	307955	04/12/12	25000	
12/12/12	sep Ashwani kumar sharma R/o village Khaggal, post- office-khaggal, Tehsil- Hamirpur, Distt-Hamirpur, H.P (Through DC Hamirpur)	307967	12/12/12	25000	
12/12/12	Sep shyam Lal, R/O village- Gocher Balhi, post office- Tehsil-Jhandutta, District- Bilaspur, H.P (Through DC Bilaspur)	307969	12/12/12	25000	
12/12/12	Hav Clk vinod kumar R/O village-Mughal, post-	307965	12/12/12	25000	

	sapouri, Tehsil-Amb, Distt-Una, H.P (Through DC Una)			
12 / 12 / 12	HMT Master Tech (N/W)	307966	12 / 12 / 12	25000
	Parveen singh, R/O village-Nanoan, Tehsil-Palampur, District-kangra, H.P (Through DC Kangra)			
	Total		योग =	₹10,25,000

- 9 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु अपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर दिया गया।
- 10 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)201 / 99दिनांक, 24.5.2014 शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत**
- 1 उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हि0प्र0 सरकार शिमला-2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजने सुनिश्चित करें।
 - 2 श्री अनिल शर्मा अनुभाग अधिकारी द्वारा.....

हस्ता /
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

मुख्य मंत्री सैनिक कल्याण कोष, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण
प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013

पैरा संख्या:-I

परिशिष्ट -A

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2000

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2008

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2011

1	पैरा 7	अनिर्णीत
---	--------	----------

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012

1	पैरा 3	निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है)
2	पैरा 4(क)	निर्णीत (वित्तीय स्थिति पैरा सं0 4 (क) में वर्णित की गई है)
3	पैरा 4(ख)	निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है)
4	पैरा 5	निर्णीत (पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है)

5	पैरा 6	अनिर्णीत
6	पैरा 7	अनिर्णीत